

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक पं० 4(31)चिस्वा/2/2013

जयपुर, दिनांक 7.6.2019

आदेश:-

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के नियम 24 बी एवं 24 बीबी के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत दिनांक 27.7.2013 को आयोजित स्क्रूनिंग कमेटी की बैठक में निम्न उप निदेशकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की अभिशंखा की गई थी :-

क. स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्म तिथि	आर.पी.एस. सी. चयन वर्ष	उप निदेशक के पद पर पदोन्नति वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	डॉ. रवि प्रकाश शर्मा	सामान्य	21.02.65	1994	2009-10	01.04.12
2	डॉ. सुशील कुमार परमार	अजा	17.08.65	1994	2010-11	01.04.13

उपरोक्त चिकित्सकों की दिनांक 11.7.2011 को नियमानुसार 18 वर्ष की नियमित राज्य सेवा पूर्ण नहीं होने के परिणामस्वरूप दिनांक 30.4.2019 को आयोजित स्क्रूनिंग कमेटी की अभिशंखा पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क. स.	नाम चिकित्सक	संवर्ग	जन्म तिथि	आर.पी.एस. सी. चयन वर्ष	उप निदेशक के पद पर पदोन्नति वर्ष	डी.ए.सी.पी. देय तिथि
1	डॉ. रवि प्रकाश शर्मा	सामान्य	21.02.65	1994	2009-10	01.04.16
2	डॉ. सुशील कुमार परमार	अजा	17.08.65	1994	2010-11	01.04.17

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त दोनों अधिकारी यथास्थान पदस्थापित रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से



(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री, राज. सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज. सरकार, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. सरकार, जयपुर
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी
7. प्रभाषी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश आज ही दिनांक 07.06.2019 को वेबसाइट पर अपलोड करावें।

  
(ओ. पी. यदव)

सहायक शासन सचिव


(2)

क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2019 / 282

दिनांक 06/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोनं।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. अति. प्रशासनिक अधिकारी (राजपत्रित), मुख्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
4. राजपत्रित ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
6. डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.) / डॉ. सुशील परमार, संयुक्त निदेशक (मेलेरिया), मुख्यालय।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश / रक्षित पत्रावली।

  
अति. निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर